15000 रु भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

0388 766694

विक्रय पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	परगना	: बिजनौर
3.	ग्राम	: हसनपुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति न0)	: भूमि खसरा न0 116, 140
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि

03BB 766685

7.	पेड़ों का मूल्यांकन	: नहीं
8.	बोरिंग / कुआं / ट्यूबवेल	: नहीं
9.	प्रतिफल की धनराशि	: रू0 3,00,000/–
10.	मालियत :	: रू0 5,50,000/–
11.	स्टाम्प शुल्क	: 55,000/–

चौहद्दी

खसरा नं0 116

उत्तर	: खसरा संख्या–119
दक्षिण	: खसरा संख्या–203
पूरब	: खसरा संख्या–112, 113
पश्चिम	: खसरा संख्या–119

15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 766686

-3-

<u>खसरा नं0 140</u>

उत्तर	: खसरा संख्या–141
दक्षिण	: खसरा संख्या–139
पूरब	: खसरा संख्या–138
पश्चिम	: खसरा संख्या–148

प्रथम पक्ष की संख्या– एक द्वितीय पक्ष की संख्या–एक

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

86633

<u>विक्रेता का विवरण</u> :
नाम : मनौती प्रसाद पुत्र गुरुचरन अस्थाई व स्थाई पता– इशानपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ
व्यवसाय–कृषि

<u>क्रेता का विवरण</u>
नाम : जगदीश प्रसाद भार्गव पुत्र स्व० शिव दयाल भार्गव निवासी–अस्थाई व स्थाई पता–94, रोहताश इन्क्लेव, फैजाबाद रोड, लखनऊ

विक्रय विलेख

यह कि विक्रेता कृषि भूमि खसरा नं० 116 रकबा 0.3190 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या–140 रकबा 0.0610 हेक्टेयर कुल

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

79339

रकबा 0.4000 हेक्टेयर स्थित–ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, काबिज व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या–00130 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई जिसका अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है तथा उक्त आराजी आज तक विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है और जो कहीं विक्रय, हिबा, रहननामा, कुर्की, व जमानत आदि से प्रभावित नहीं है, उक्त आराजी में किसी अन्य व्यक्ति का कोई स्वामित्व एवं अधिकार नहीं है और

न ही कोई व्यक्ति भागीदार है, अब बरजामन्दी खुद विक्रेता के उसी आराजी रकबा उपरोक्त को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारों सहित बिना छोड़े किसी चीज व हक के खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के, बएवज मुबलिग रू0 3,00,000/– (रूपया तीन लाख मात्र) जिसके आधे रू0 1,50,000/– (रूपया एक लाख पचास हजार मात्र) होते है बदस्त क्रेता उपरोक्त श्री जगदीश प्रसाद भार्गव, पुत्र स्व0 शिव दयाल भार्गव, निवासी–94, रोहतास इन्कलेव, फैजाबाद रोड, लखनऊ के बय कतई किया और कुल विक्रय धनराशि नगद कब्ल तहरीर दस्तावेज हाजा क्रेता उपरोक्त से प्राप्त करके कब्जा व दखल मालिकाना आराजी बयशुदा पर आज की तारीख से क्रेता उपरोक्त का वाकई बखूबी करा दिया, अब विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई हक व दावा निस्बत आराजी बयशुदा व विक्रय धनराशि के क्रेता से बाकी नहीं रहा, अगर कोई शख्स दावा करे तो वह बिल्कुल नाजायज होवे, और अगर आराजी बयशुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व एवं अधिकारों से निकल जावे या कब्जा न मिले या कोई विक्रय, हिबा, ऋणभार, कुर्की व जमानत आदि से ग्रसित पायी जाती है तो ऐसी स्थिति

में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना कुल विक्रय धनराशि मय हर्जा-खर्चा व नुकसान के साथ विक्रेता व वारिसान विक्रेता से व विक्रेता की अन्य सम्पत्ति चल व अचल से जरिये न्यायालय प्राप्त कर लेवें, इसमें विक्रेता व वारिसान विक्रेता को कोई आपत्ति होगी।

अब क्रेता उपरोक्त को पूरा अधिकार है कि वह विक्रीत आराजी के सम्बन्ध में समस्त सरकारी अभिलेखों में अपने नाम दाखिल-खारिज करा लेवें ।

आराजी उपरोक्त में खेती होती है, आराजी उपरोक्त में कोई पेड़, कुआं, ट्यूबेल व इमारत आदि नहीं है तथा आराजी उपरोक्त के 200 मीटर त्रिज्या में कोई निर्माण आदि नही है।

आराजी उपरोक्त किसी लिंक मार्ग जनपदीय मार्ग व राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित नही है।

आराजी स्थित ग्राम हसनपुर खेवली, परगना-बिजनौर के अर्धनगरीय क्षेत्र के लिंशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है जो नगर निगम सीमा के बाहर स्थित है जिसकी कृषि भूमि की बाजारू कीमत 13,75,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित

है इस प्रकार से विक्रीत आराजी रकबा 0.0000 हेक्टेयर की मालियत रू0 5,50,000/- रूपया होती है जिस पर नियमानुसार जनरल स्टाम्प शुल्क 55,000/- के अदा किये जा रहे है।

उपरोक्त आराजी मुख्य मार्ग सुल्तानपुर रोड से 1 किमी0 की दूरी पर स्थित है।

विक्रेता अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। उक्त आराजी किसी योजना व किसी सरकारी व अर्ध सरकारी संस्था द्वारा अधिगृहीत नहीं है।

लिहाजा यह दस्तावेज विक्रेता ने अपनी खुशी व रजामन्दी से खूब सोच व समझकर बिना किसी दबाव के क्रेता उपरोक्त के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

अतः आज उभय पक्षों ने इस विक्रय विलेख पर अपने-अपने हस्ताक्षर करके इसे निष्पादित किया।

दिनांक—03.09.2006
लखनऊ

(भगौती प्रसाद)
हस्ताक्षर / विक्रेता

गवाहान—

1. राकेश कुमार, S/o हरिशंकर, नि० 5-16 [illegible] लखनऊ

(जगदीश प्रसाद भार्गव)
हस्ताक्षर / क्रेता

2. [illegible]

टाईपकर्ता:
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट,लखनऊ

मसविदाकर्ता
(एस०एम० सक्सेना)
एडवोकेट,
सिविल कोर्ट, लखनऊ

रजिस्टर

550,000.00

... 4/8/2008 ...

ए. के. श्रीवास्तव
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

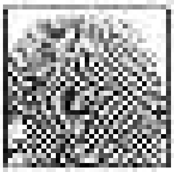

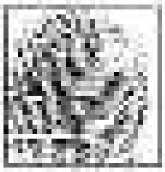

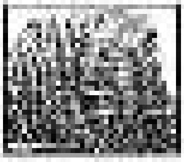

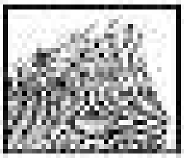

ए. के. श्रीवास्तव
उप निबंधक (प्रथम)
लखनऊ

[illegible] बिलारी तहसील

जिला [illegible]

खसरा नं० 116

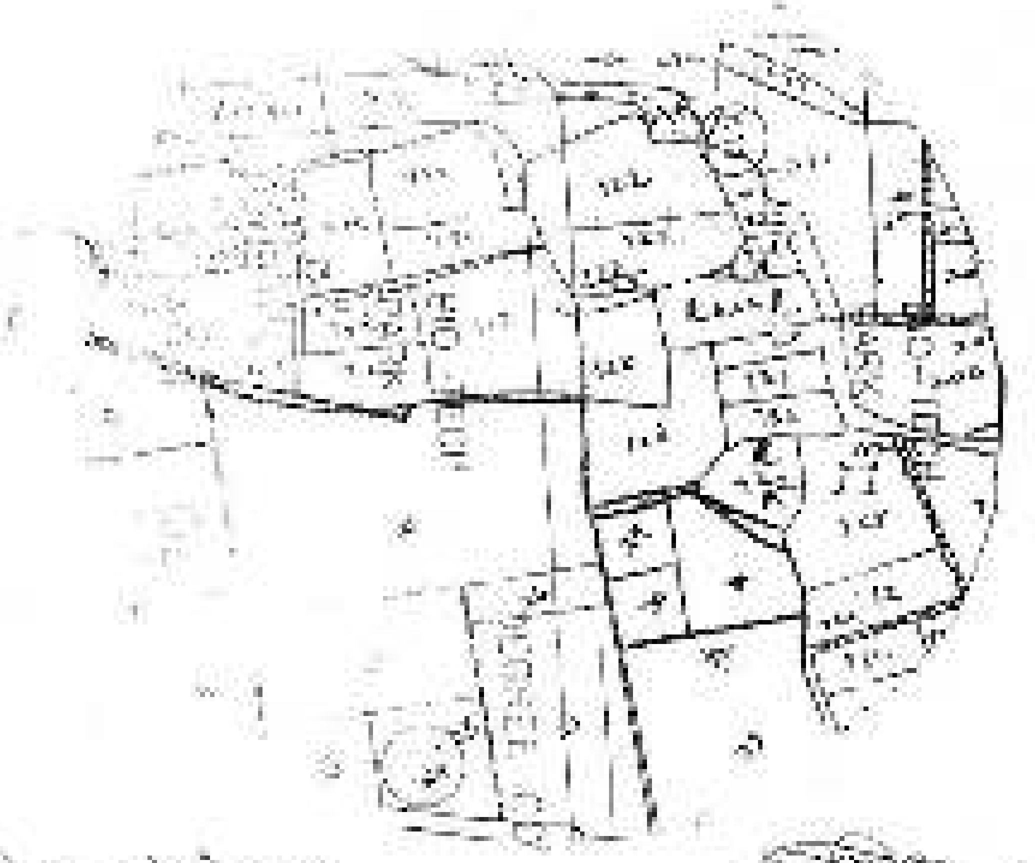

[illegible]

Registration No: [illegible] Year: 2025 Book No: I

[illegible] [illegible]

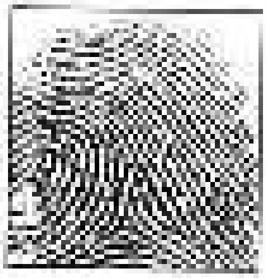

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ग्राम [illegible] तहसील [illegible]

ज़िला [illegible]

खसरा नं [illegible]

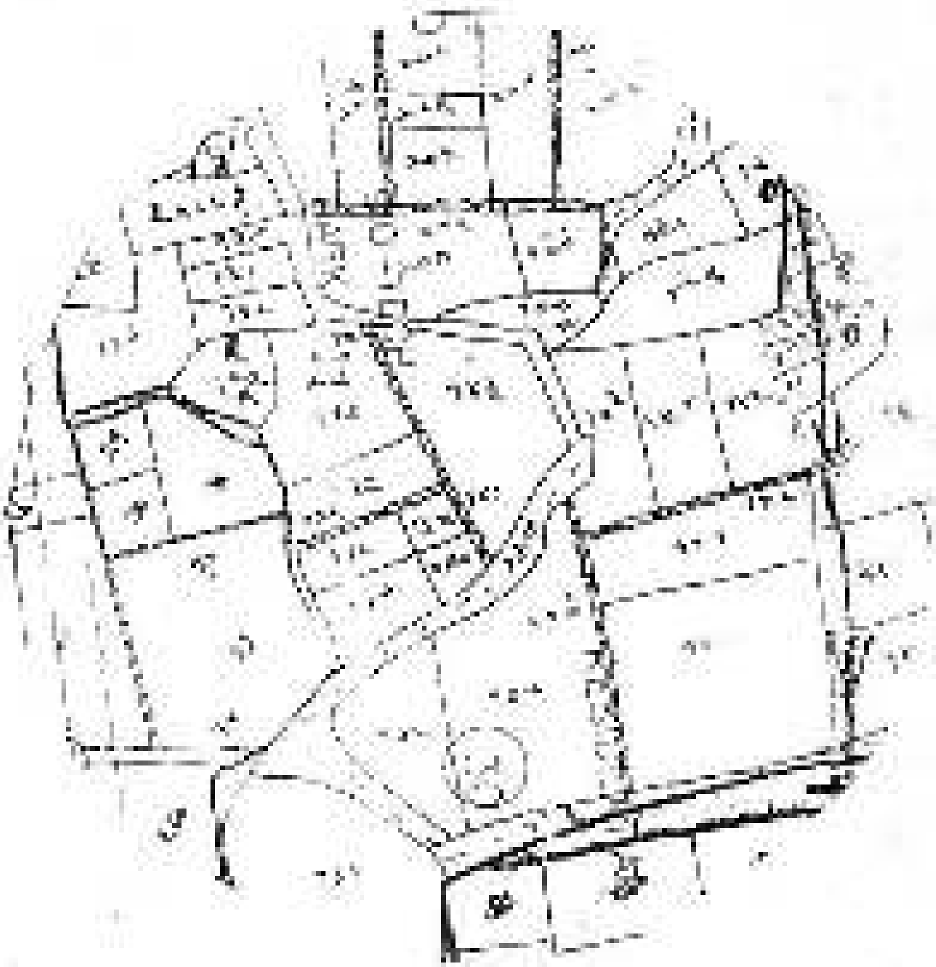

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Registration No. 6712 Year : [illegible] Book No. 1

0001 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

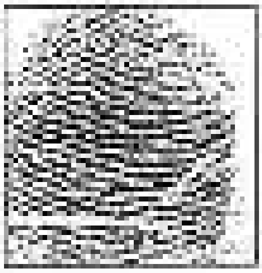

रजि० एक्ट 1908 की धारा - 32 ए की अनुपालना हेतु

फिंगर प्रिन्ट्स

क्रेता/विक्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की सभी अंगुलियों के चिन्ह :-

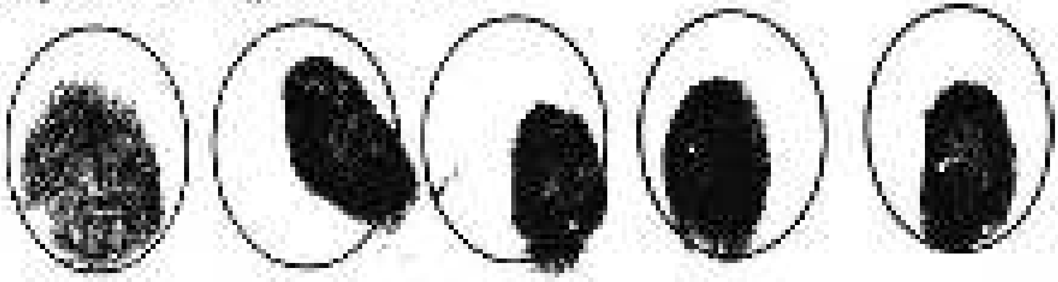

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

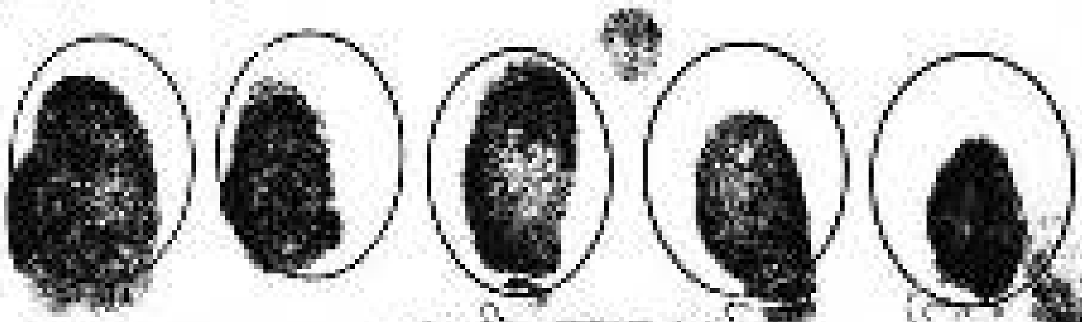

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की सभी अंगुलियों के चिन्ह :-

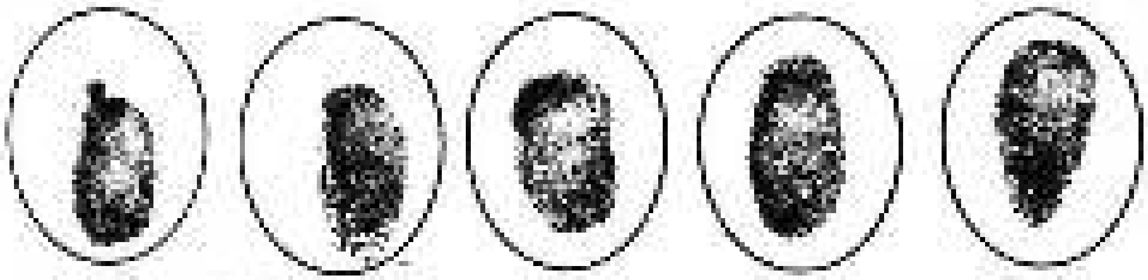

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :-

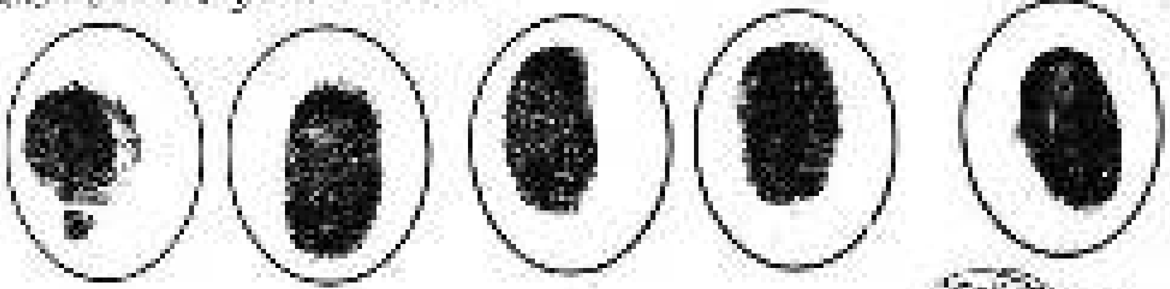

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 04/08/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 7732

पृष्ठ सं 69 से 92 पर क्रमांक 6712

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

ए. के. श्रीवास्तव
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
[illegible]